सं. 1/4/2017 - P&PW(F)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली -110003

दिनांक : 03 अक्तूबर, 2017

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के फैसले का कार्यान्वयन - सतत् परिचर भत्ता - के संबंध में ।

सतत् परिचर भत्ते को संशोधित करके मौजूदा 4500 रूपए प्रति माह से 6750 रूपये प्रति माह की वृद्धि करने संबंधी इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2017 - P&PW(F) के अनुसरण में यह भी निर्णय लिया गया है कि वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर महंगाई भत्ते में हर बार 50% की वृद्धि होने पर सिविलियन पेशनभोगियों को दिए जाने वाले सतत् परिचर भत्ते को 25% की दर से बढ़ाया जाएगा ।

2. इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/4/2017-पी एंड पी डब्लू (एफ) की अन्य सभी नियम और शर्तें समान रहेंगी ।

3 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के व्यक्तियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 11.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 11-1/2016-IC और दिनांक 25.07.2017 के आईडी संख्या 11-1/2016-IC/Pt के तहत दी गई सहमति के साथ ज़ारी किए जाते हैं ।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
निदेशक
फोन: 24635979

सेवा में

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।

प्रतिलिपि : मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) आदि ।